न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राजमहल।
नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2015–16
शंकर मंडल वगै0
बनाम
नन्द किशोर मंडल वगै0
आदेश

29.06.2017

अभिलेख उपस्थापित। यह नामांतरण अपील वाद अपीलार्थी शंकर मंडल वगै0, पिता स्व0 रामचंद्र मंडल, सा0– गढतालाब, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 1041/2014–15 में दिनांक 15.12.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गई है। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा कालक्षंत हेतु आवेदन दाखिल की गई है। जिसे विलम्ब अवधि को क्षान्त करते हुए दिनांक 12.10.2015 को वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

प्रश्नगत भूमि की विवरणीः–

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
अराजी मोकिमपुर	18	06	01 कट्ठा 13 धूर

आज उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा सूचिबद्ध कागजात दाखिल की गई है तथा निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त हुए हैं।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि 05 कट्ठा भूमि फेकु मंडल, रतन मंडल एवं रायचंद मंडल के नाम से संयुक्त रूप से खतियान में दर्ज है। उक्त तीनों भाईयों ने बाद में मौखिक रूप से 05 कट्ठा भूमि का बंटवारा किये जो प्रत्येक के हिस्से में 01 कट्ठा 13 धूर करके मिला। उक्त रकवा 01 कट्ठा 13 धूर जमीन पर अपीलार्थी शंकर मंडल के पिता रामचंद्र मंडल ने अपना मकान बनाकर अपने पत्नी दुली देवी एवं तीन पुत्र के साथ निवास कर रहे हैं। लेकिन चार वर्ष पूर्व अपीलार्थी शंकर मंडल के पिता रामचंद्र मंडल को लकवा हो गया एवं दिनांक 07.03.2014 को मृत्यू हो गयी। उत्तरवादी क्र0 01 नन्दकिशोर मंडल ने छल कपट कर अपने मृत पिता के नाम से बंटननामा वसीयतनामा का निष्पादन किये हैं, लेकिन वह वसीयतनामा निबंधन एक्ट के अधीन निबंधन नहीं कराये हैं। अतः वह वसीयतनामा का कोई मान्य नहीं है। रामचंद्र मंडल उक्त वसीयतनामा का निष्पादन करने हेतु राजमहल नहीं आये है। रामचंद्र मंडल की मृत्यूपरांत उत्तरवादी क्रमांक 01 नन्दकिशोर मंडल ने हल्का कर्मचारी को प्रभाव में लेकर बिना Probate Will के दाखिल खारिज कराकर गुप्त रूप से मांग पंजी में अपना नाम दर्ज कराये हैं। यह पूर्णतः उत्तराधिकारी एवं निबंधन एक्ट का उल्लंघन है। प्रश्नगत भूमि 01 कट्ठा 13 धूर रामचंद्र मंडल के सभी बेटा–बेटी अर्थात अपीलार्थी एवं उत्तरवादी की संयुक्त संपत्ति है, रामचंद्र मंडल की मृत्यू के बाद बंटवारा नहीं हुआ है। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी क्रमांक 01 एवं रामचंद्र मंडल के पुत्री निमोला बेवा एवं विभा देवी अपने अपने मकान में निवास कर रहे हैं।

अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 1041/2014–15 में पारित आदेश को अपास्त (Set-a-Side) करने का अनुरोध किये हैं।

जबाब में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि खतियानी रैयत स्व0 रामचंद्र मंडल अपने जीवन काल में अर्थात 11.09.2013 को नोटरी पब्लिक श्री राजीव रंजन सरकार अधिवक्ता राजमहल द्वारा बंटननामा वसीयतनामा दस्तावेज 7797 दिनांक 11.09.2013 तैयार कर श्री लालु प्रसाद साह नोटरी पब्लिक के समक्ष सारी अचल सम्पति को अपने बच्चों के बीच लिखित रूप से बंटवारा कर दे चुके है। उक्त वसीयतनामा के आधार पर उत्तरवादी नन्दकिशोर मंडल को मौजा एराजी मोकिमपुर थाना नं0 26 जमाबंदी नं0 18 दाग नं0 06 की कुल बास्तु भूमि 01 कट्ठा 13 धूर प्राप्त हुआ है एवं मकान बनाकर अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण ढंग से निवास करते आ रहे हैं। अंचल अधिकारी, राजमहल ने नामांतरण वाद सं0 1041/2014–15 में मौजा के 16 आना रैयतों को नोटिश निर्गत की गई एवं हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच कराई गयी। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के स्थल निरीक्षण के पश्चात प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा पाया गया है। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, राजमहल ने उक्त प्रतिवेदन तथा उक्त बंटननामा दलील के आधार पर उत्तरवादी नंदकिशोर मंडल के पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी है।

अतः उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन को

29/6/17

Scanned with CamScanner

खारिज करने का प्रार्थना किये है। उत्तरवादी ने अपने दावे के समर्थन में वसीयतनामा दस्तावेज क्रम संख्या 7797 दिनांक 11.09.2013 की छाया प्रति 13 पन्ने में समर्पित किये हैं। प्राप्त

अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 1041/2014-15 प्राप्त हुआ है। प्राप्त नामांतरण वाद सं0 1041/2014-15 के अवलोकन से निम्नांकित तथ्य सामने आते हैं:-

1. नामांतरण वाद सं0 1041/2014-15 में संलग्न हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये है कि खतियान एवं पंजी II का मिलान किया सही पाया। आवेदक ने अपने पिता के हिस्से से वसीयतनामा उत्तराधिकारी के आधार पर प्राप्त जमीन दखल भोग एवं कब्जा में है। अतः नामांतरण की स्वीकृति दी जा सकती है।
2. अंचल अधिकारी, राजमहल ने उक्त प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरवादी नंदकिशोर मंडल के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति प्रदान की है।
3. हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र के अनुसार दाखिल खारिज करने के पूर्व मूल होल्डिंग धारक का नाम फेकु मंडल वो रतन मंडल एवं रामचंद्र मंडल पिता स्व0 पंचु मंडल सा0 गढतलाब दर्ज है। जो उक्त तीनों के नाम से जमाबंदी नं0 18 दाग नं0 06 कुल रकवा 05 कट्ठा भूमि है एवं नया होल्डिंग के स्थान पर नन्दकिशोर मंडल पिता रामचन्द्र मंडल सा0 गढतलाब को उक्त भूमि में से 01 कट्ठा 13 धूर भूमि का नामांतरण हेतु अनुशंसा किये हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा दाखिल कागजातों एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन करने से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

1. हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र के अनुसार दाखिल खारिज करने के पूर्व मूल होल्डिंग धारक का नाम फेकु मंडल वो रतन मंडल एवं रामचंद्र मंडल पिता स्व0 पंचु मंडल सा0 गढतलाब दर्ज है। जो उक्त तीनों के नाम से जमाबंदी नं0 18 दाग नं0 06 कुल रकवा 05 कट्ठा भूमि है एवं नया होल्डिंग के स्थान पर नन्दकिशोर मंडल पिता रामचन्द्र मंडल सा0 गढतलाब का उक्त भूमि 05 कट्ठा में से 01 कट्ठा 13 धूर भूमि का नामांतरण हेतु अनुशंसा किये हैं। जबकि पूर्व में फेकु मंडल वो रतन मंडल एवं रामचंद्र मंडल के बीच उक्त 05 कट्ठा भूमि का विधिवत बंटवारा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। उक्त नामांतरण उत्तराधिकार नामांतरण की प्रक्रिया के अनुरूप की जानी चाहिए थी। उत्तरवादी के द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि नोटरी पब्लिक के द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दस्तावेज के आधार पर नामांतरण कराये हैं। यह नामांतरण करने हेतु वैध दस्तावेज नहीं है।

उपरोक्त तमान स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 1041/2014-15 के पारित आदेश को अपास्त (Set-a-Side) किया जाता है। अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि पुनः सभी पक्षों/हिस्सेदार को आम ईश्तहार के उपरांत उक्त नामांतरण उत्तराधिकारी नामांतरण के अनुसार कार्रवाई करते हुए वाद का निष्पादन करें।

लेखापित एवं संसोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
राजमहल

भूमि सुधार उप समाहर्ता
राजमहल।